राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

S.B. Civil Writ Petition No. 4855/2017

1. Feliram Son of Kunji Lal

2. Nortya Son of Feliram,

Both of by Caste Meena, Resident of Chak Chandpur Patti, Tehsil Lalsot, District Dausa (Raj.)

----Petitioners/Defendants

Versus

Heera Lal Son of Mahadev, by Caste Meena, Aged About 55 Years, resident of Chak Chandpur Patti, Tehsil Lalsot, District Dausa (Raj.)

----Respondent/Plaintiff

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

याची के अधिवक्ता श्री नवलसिंह सिकरवार।

:: आदेश :: **31.05.2017**

अधीनस्थ विचारण न्यायालय, सिविल न्यायाधीश, लालसोट जिला दौसा द्वारा दीवानी वाद संख्या **71/2012** में पारित आदेश दिनांक **07.03.2017**, जिसके तहत याची–प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश **14** नियम **5** सपठित धारा **151** सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर याची–प्रतिवादी की ओर से यह रिट याचिका पेश की गई है।

बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता याची का कथन रहा कि याची–प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में संबंधित सम्पत्ति पर अपना कब्जा होना एवं सम्पत्ति को वादी से क्रय करना एवं सम्पत्ति पर निर्माण करना अंकित किया गया है तथा वादी के पट्टे को भी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है, जिसके संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विवाधक कायम नहीं किया गया है। मात्र देरी के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, अतः रिट याचिका स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

समस्त तथ्यों पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में याची की ओर से जिन विवाधकों को बनाये जाने की प्रार्थना की गई है, उन विवाधकों के अवलोकन पर प्रकट होता है कि उन विवाधकों के आधार पर प्रतिवादी ने सम्पत्ति का जरिये इकरारनामा अपने पक्ष में बेचान होकर कब्जा होना व संबंधित पट्टे को वादी द्वारा फर्जी तरीके से प्राप्त करना बताया गया है, इस क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बनाया गया विवाधक निम्न प्रकार है :

आया वाद के पैरा संख्या 3 में वर्णित नापजोक का भूखण्ड वादी का पट्टेशुदा और अपठित एवं स्वामित्व का भूखण्ड है?

उपरोक्त विवाधक के अवलोकन से प्रकट होता है कि संबंधित प्लोट के मालिकाना हक, स्वामित्व व कब्जे को प्रमाणित करने का भार वादी पर है तथा प्रतिवादी की ओर से जो अभिवचन व साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उसी की रोशनी में अधीनस्थ न्यायालय को वादी का प्रकरण प्रमाणित होकर डिक्री होने लायक है या नहीं, तय किया जाना है। इस न्यायालय की राय में प्रतिवादी द्वारा जो विवाधक सुझाया गया है, वह वादी के कथनों का खण्डन मात्र है तथा प्रतिवादी की ओर से कोई काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत नहीं किया गया

है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पक्षों के मध्य उत्पन्न समस्त विवाद विवाधक संख्या–**1** की रोशनी में तय किया जा सकता है। अतः आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार रिट याचिका एवं संलग्न स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित होता है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/–

उपरोक्त निर्णय/आदेश भारत सरकार का राजपत्र संख्या–1, दिनांक 02 जनवरी, 1999 में प्रकाशित गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के संकल्प/नोटिफिकेशन के तहत संबंधित भाषा (भाषा) में खुले न्यायालय में लिखाया गया।